

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2594]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2594]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 12 नवम्बर, 2013

का.आ. 3435 (अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, का.आ. 1025(अ) तारीख 23.04.2013 और का.आ. 546(अ) तारीख 07.03.2013; द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कर्नाटक राज्य में दाभोल - बेंगलुरु और स्पर पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत अस्वीकृत कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन् बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन् बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन् बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइन् बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची				
जिला	तहसील	गांव	सर्वे नं.	आर.ओ.यू. में अर्जित करने के लिए भूमि (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
धारवाड	हुबलि	उणकल	392/1	0.2829
			रेलवे	-
			391/4	0.0350
			391/3	0.1380
			391/2	0.1300
			391/1	0.1360
			योग	0.1400
				0.8619

अनुसूची				
जिला	तहसील	गांव	सर्वे नं.	आर. ओ.यू. में अर्जित करने के लिए भूमि (हेक्टर में)

1	2	3	4	5
बेलगाम	सवदत्ति	कगदाल	89	0.3310
			88	0.1230
			95	0.1800
			86	0.1815
			87	0.0135
			94	0.1065
			118/1	0.2220
			118/2	0.0450
			119/1	0.0720
			नाला	0.0630
			योग	1.3375

[फा. सं. एल-14014/45/12-जी.पी.]

एस. पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2013

S.O. 3435 (E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 1025(E) dated 23.04.2013 & S.O. 546(E) dated 07.03.2013; issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Dabhol – Bengaluru & spur pipeline project in the State of Karnataka by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Land to be Acquired for ROU (In Hectare)
1	2	3	4	5
DHARWAD	HUBLI	UNAKAL	392/1 Railway	0.2829 -

			391/4	0.0350
			391/3	0.1380
			391/2	0.1300
			391/1	0.1360
				0.1400
			Total	0.8619

SCHEDULE

District	Tehsil	Village	Survey No.	Land to be Acquired for ROU (In Hectare)
1	2	3	4	5
BELGAUM	SAVADATTI	KAGADAL	89	0.3310
			88	0.1230
			95	0.1800
			86	0.1815
			87	0.0135
			94	0.1065
			118/1	0.2220
			118/2	0.0450
			119/1	0.0720
			CANAL	0.0630
			Total	1.3375

[F. No. L-14014/45/2012-G.P.]

S. P. AGARWAL, Under Secy.